दैनिक भास्कर रायपुर 15-07-2025

### शराब घोटालाः 18 जुलाई को सुनवाई

# 23 अधिकारियों ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई

भास्कर न्यूज़|रायपुर

शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाए गए 22 आबकारी अधिकारियों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। इस पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं, बेमेतरा के जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद कुमार नेताम की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसकी तारीख बढ़ गई है। प्रमोद नेताम के आवेदन पर भी 18 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि ईओडब्ल्यू की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में इन अफसरों पर शराब सिंडिकेट का हिस्सा बनने और 88 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई का गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि ये अधिकारी शराब की आपूर्ति, कोटा वितरण और फर्जी बिलिंग के जरिए करोड़ों का घोटाला करने में शामिल थे। मामले की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में विस्तृत चार्जशीट पेश किया था। साथ ही इस मामले में 29 आरोपियों को समन जारी किया गया था, लेकिन कोई भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ।